बिहार सरकार

(पर्यावरण एवं वन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या–FC–614

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

श्री अमरेन्द्र पाठक,
पिता–स्व. कपिलदेव पाठक,
ग्राम+पो.–विजयपुर,
तालुका–विजयपुर,
जिला–गोपालगंज, पिन–841508 पटना 14, दिनांक– 19/06/2018

विषय– श्री अमरेन्द्र पाठक द्वारा गोपालगंज जिलन्तर्गत ग्राम+पोस्ट– विजयपुर, मौजा–मिसिर, PWD पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01275 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/27400/2017/2301, दिनांक 14.06.2018 (छायाप्रति संलग्न),

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/27400/2017/2301, दिनांक 14.06.2018 द्वारा विषयक प्रस्ताव पर कुल 14 (चौदह) अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.01275 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 7,982/– (सात हजार नौ सौ बीरासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमण्डल, गोपालगंज के द्वारा 50 पौधे के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या– 03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू० 254 प्रति मानव दिवस) पर तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। (रू. 5,13,120)

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि को विभागीय वेवसाईट forestsclearance.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तानांतरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 14 तक अधिरोपित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC - 614 दिनांक 19/06/2018

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/18
(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज

Compensatory Afforestation scheme for Petrol, CNG Forest Clearance Proposal

Division-Gopalgaj Forest Division, Gopalgaj	**Name of Applicant:**
District - Gopalgaj	Shri Amrendra Pathak
Range-Bhore	Mauza Mishrabandhuaura, Khta No. 26, Khesra No. 747
No. of Plant - 50	**Name of Petrol/CNG Company-**
मजदूरी दर– रू. 254.00 प्रति मानव दिवस।	Indian Oil Corporation Ltd.

GPS Reading:	
Let	Log.
26° 27'774"N	84°00'905"E

पौधों का आकार– 5–6 फीट

Item no	कार्य	इकाई	भौतिक लक्ष्य (पौधा)	आवश्यक मानव दिवस	मजदूरी दर	मजदूरी	सामग्री	कुल
20.0	अग्रिम एवं समापन (प्रथम वर्ष)							
20.0.1	5' x 20'' (जमीन के उपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण समग्री एवं मजदूरी सहित	प्रति गैबियन	50	-	254.00	0.000	2,294.00	1;14,700.00
20.0.2	मृदा कार्य 45 cm x 45 cm x 45 cm कड़ी मृदा (मिट्टी कोड़ना)	प्रति 1000 पौधा	50	0.0879	254.00	22.327	-	1,116.33
20.0.3	लौह गैबियन को वृक्षारोपण स्थल तक ढुलाई कर पी.सी.सी. द्वारा जमीन में स्थापित करना।	प्रति 1000 पौधा	50		254.00	353.000	-	17,650.00
20.0.4	पौधा रोपण (10 ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं बर्मी कम्पोस्ट के मिश्रण के साथ।	प्रति 1000 पौधा	50	0.0960	254.00	24.384	2.50	1,344.20
20.0.5	5–6' फीट उचाई के पौधों का क्रय, परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि (20 प्रतिशत अधिक के साथ) (150 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	60	-	254.00	0.000	150.00	9,000.00
20.0.6	2 लीटर साईज का मिट्टी का मटका का क्रय, परिवहन एवं स्थापित करने सहित	प्रति 1000 पौधा	50		254.00	0.000	-	-
20.0.7	सुक्ष्म पोषक (micro Nutrient) (50रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50		254.00	0.000	50.00	2,500.00
20.0.8	बर्मी कम्पोस्ट (पीट में मिट्टी के साथ डालने हेतु) का क्रय परिवहन के साथ/ प्रति पौधा 5 किलो ग्राम। (50रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50	-	254.00	0.000	50.00	2,500.00
20.0.9	विविध कार्य (छायांकन इत्यादि)		50		254.00		5,000.00	5,000.00
20.0.10	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का क्रय। (80रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50	-	254.00	0.000	80.00	4,000.00
20.0.11	प्रथम वर्ष पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x254x9) = 59,436 रू. प्रति 500 पौधा, रासायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला इत्यादि।	प्रति 1000 पौधा	500	0.4680	254.00	118.872	-	59,436.00
							कुल–	**2,17,246.53**
20.1.0	द्वितीय वर्ष (प्रथम वर्ष सम्पोषण)							-
20.1.1	पौधा के दो कोड़नी निकौनी, मृद पौधों का बदलाव तथा 12 माह अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x254x12) = 79,248 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद, वर्मी कम्पोष्ट एवं पटवन सामग्री इत्यादि।	प्रति 1000 पौधा	500	0.624	254.00	158.50	-	79,248.00
20.1.2	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का क्रय। (80रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50		254.00	-	80.00	4,000.00
20.1.3	मृद पौधो का बदलाव @150/- रू. प्रति पौधा का 10 प्रतिशत पौधों का बदलाव	प्रति 1000 पौधा	50		254.00	-	15.00	750.00
							कुल–	**83,998.00**
20.2.0	तृतीय वर्ष (द्वितीय वर्ष सम्पोषण)							
20.2.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
20.3.0	चतुर्थ वर्ष (तृतीय वर्ष सम्पोषण)							
20.3.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
20.3.5	पैंटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन	50		-	-	100.00	5,000.00
							कुल–	**20,240.00**

20.4.0	पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण)							
20.4.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
20.5.0	षष्ट्म वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण)							
20.5.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
20.6.0	सप्तम् वर्ष (षष्ट्म वर्ष सम्पोषण)							
20.6.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
20.6.5	पैंटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन	50			-	100.00	5,000.00
							कुल–	**20,240.00**
20.7.0	अष्टम वर्ष (सप्तम् वर्ष सम्पोषण)							
20.7.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
20.8.0	नवम् वर्ष (अष्टम वर्ष सम्पोषण)							
20.8.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
20.9.0	दसम वर्ष (नवम् वर्ष सम्पोषण)							
20.9.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	254.00	-	-	15,240.00
							कुल–	**15,240.00**
							कुल योग–	**4,33,164.53**

योजना का सारांश–

क्र० सं०	वर्ष	राशि	संभावित वृद्धि	कुल	अभ्युक्ति
1	2017–18	2,17,247	-	2,17,247	
2	2018–19	83,998	8,400	92,398	10 प्रतिशत
3	2019–20	15,240	3,048	18,288	20 प्रतिशत
4	2020–21	20,240	6,072	26,312	30 प्रतिशत
5	2022–22	15,240	6,096	21,336	40 प्रतिशत
6	2023–23	15,240	7,620	22,860	50 प्रतिशत
7	2024–24	20,240	12,144	32,384	60 प्रतिशत
8	2025–25	15,240	10,668	25,908	70 प्रतिशत
9	2026–26	15,240	12,192	27,432	80 प्रतिशत
10	2027–27	15,240	13,716	28,956	90 प्रतिशत
		4,33,165	**79,956**	**5,13,120**	

26/06/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।